न्यायालयः विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय जनपद बदायूँ।

फौजदारी वाद संख्या-15715/2022

मुकदमा अपराध संख्या-76/2022

सरकार बनाम पिन्टू

पिन्टू पुत्र बाबूराम
निवासी मीराजी चौकी शिशु मन्दिर के पास कोतवाली, बदायूँ

........**अभियुक्त**

अंतगर्त धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम
संबंधित थाना कोतवाली, जिला बदायूँ।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **पिन्टू** उपस्थित आया। उसने अपना जुर्म को स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अभियुक्त को समझाया गया कि उसे कारावास के दण्ड या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इस पर अभियुक्त ने स्वेच्छया से बिना किसी दबाव व भय के अपना जुर्म स्वीकार किये जाने की बात की। तत्पश्चात अभियुक्त का बयान मुल्जिम अंकित किया गया, जिसमें उसने स्वेच्छया से बिना किसी दबाव के जुर्म स्वीकार किया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम का आरोप है। अतः अभियुक्त की जुर्म संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को उक्त अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

दिनांक-25.04.2024

25.4.24

(मेवाराम)
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
बदायूँ।

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह अपनी स्वेच्छया से जुर्म को स्वीकार कर रहा है। उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये उसको कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

चूंकि अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया है। मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्त **पिन्टू** को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के अपराध में अभियुक्त द्वारा अंकन 300/-रुपये के अर्थदण्ड से एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदणड अदा न करने पर दो दिन का साधारण कारावास भोगना होगा। अभियुक्त से बरामद जुए की धनराशि अंकन 310/-रू० अपील अवधि व्यतीत होने पर राज्य पक्ष में जब्त की जाए।

दिनांक-25.04.2024

25.4.24

(मेवाराम)
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
बदायूँ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में अभियुक्तगन को पढ़कर सुनाया व समझाया गया।

दिनांक- 25.04.2024

25.4.24

(मेवाराम)
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
बदायूँ।

Reception no. 02742400 dt 25/04/24